# न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

## पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या - 53/2019 अपील (RCMS/2019/00069)
पंजीयन दिनांक - 14.10.2019
निर्णय दिनांक - 18.08.2020

1. श्रीमती विमला देवी पुत्री श्री कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण), निवासी शाहजी का चौक दुर्ग चित्तौड़गढ़ (श्रीमती विमला पत्नि श्री दिनेश चन्द्र पिता श्री बंशीलाल शर्मा, निवासी शाहजी का चौक दुर्ग चित्तौड़गढ़)

2. श्रीमती संतोष देवी पुत्री श्री कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण), निवासी घोसुंडा जिला चित्तौड़गढ़ (श्रीमती संतोष पत्नि श्री गोवर्धनलाल पिता नंदलाल देराली, मुकाम पोस्ट घोसुंडा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

   ''निर्णय दिनांक 29.03.2012 में तकनीकी त्रुटि से रेस्पोडेंट्स संख्या-5 पर श्रीमती गोवर्धनलाल पिता नंदलाल देराली श्रीमती संतोष की जगह अंकित है।''

3. श्रीमती गोविंदा पुत्री श्री कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण), निवासी ओस्तवाल कॉम्प्लेक्स के अन्दर, मांजी की सराय, प्रतापनगर, तहसील गिर्वा जिला उदयपुर (राज.) (श्रीमती गोविंदा पत्नि विष्णुकुमार शर्मा, निवासी ठोकर चौराहा, प्रतापनगर, उदयपुर (राज.)

**-अपीलार्थी**

**बनाम**

1. सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील चित्तौड़गढ़, जिला चित्तौड़गढ़।
2. पटवार हल्का कश्मोर, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री कन्हैयालाल पिता श्री भैरूलाल शर्मा (ब्राह्मण), सेवानिवृत कर्मचारी, निवासी सी-182 शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़।
4. श्री सत्यनारायण पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा (ब्राह्मण), निवासी सी-182 शास्त्रीनगर, चित्तौड़गढ़।
5. श्री विजय तिवारी पिता श्री नत्थूराम तिवारी, निवासी 43/68 होटल तिवारी, पोलोविक्ट्री सिनेमा के पास, जयपुर।
6. श्रीमती कविता तिवारी पत्नि श्री विजय तिवारी निवासी, 107 रॉयल एन साइन ए-जी पृथ्वीराज गौड़, जयपुर।
7. श्री देवेन्द्र पिता श्री बृजमोहन राठौड़, निवासी 9/56 पंचवटी सेंती, चित्तौड़गढ़, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

**-प्रत्यर्थी**

अधिवक्तागणः-

1. श्री नरेश शर्मा - वकील अपीलार्थी (लिखित बहस प्रस्तुत)
2. राजकीय पेरोकार - प्रत्यर्थी-1 व 2
3. श्री पी.सी.पालीवाल - प्रत्यथी-3 से 7

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या-6508/2012 उनवानी विमला देवी बनाम सरकार एवं निगरानी संख्या 5234/2013 उनवानी विजय तिवारी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 की अनुपालना में एवं प्रकरण संख्या-01/2012, अनवान सरकार बनाम पटवारी हल्का काश्मोर व अन्य, में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.03.2012 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

**<u>निर्णय</u>**

दिनांक 18.08.2020

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या-6508/2012 उनवानी विमला देवी बनाम सरकार एवं निगरानी संख्या 5234/2013 उनवानी विजय तिवारी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 की अनुपालना में हस्तगत प्रकरण दर्ज किया गया जिसके तथ्य निम्नानुसार है-

- ग्राम गणेशपुरा की जमाबदी संवत् 2065 से 68 के खाता संख्या-59 में अंकित आराजी संख्या 1092 से 1096 किता 5 रकबा 1.62 हैक्टेयर श्रीमती भंवरदेवी पत्नि श्री कन्हैयालाल शर्मा, निवासी शास्त्रीनगर चित्तौड़गढ़ के नाम दर्ज थी। खातेदार श्रीमती भंवरदेवी की मृत्यु के पश्चात् पटवारी हल्का कश्मोर द्वारा द्वारा विरासत की कार्यवाही की गई और विरासत का नामान्तरकरण संख्या-351 निर्णय दिनांक 27.12.2010 स्वीकृत हुआ। पटवारी कश्मोर द्वारा विरासत की कार्यवाही में खातेदार के पुत्र श्री सत्यनारायण एवं पुत्रियां क्रमशः विमला, संतोष एवं गोविन्दा का नाम भी इन्तकाल में दर्ज कर दिया गया और खातेदार के पति श्री कन्हैयालाल शर्मा का नाम अंकन नहीं किया गया। यह शुद्धि पत्र दिनांक 05.01.2012 से मृतका खातेदार श्रीमती भंवरदेवी के पति कन्हैयालाल का नाम जोड़ा गया।

- उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामान्तरकरण के निर्णय को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार भंवरदेवी की विरासत में पति श्री कन्हैयालाल का नाम यथावत रखते हुए पुत्र सत्यनारायण एवं पुत्रियों विमला, संतोष एवं गोविन्दा का नाम हटाये जावे क्योंकि उपरोक्त आराजीयात श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा ही अपनी पत्नि के नाम से क्रय की। इस सम्बन्ध में श्री कन्हैयालाल शर्मा ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। चूंकि राज्य सरकार को इस गबन की राशि का चुकारा करना है। इस कारण यह भूमि श्री कन्हैयालाल के नाम दर्ज की जाने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया।

- उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या-01/2012 दर्ज कर निर्णय दिनांक 29.03.2012 से उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए ग्राम गणेशपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ की आराजी संख्या-1092 से 1096 किता 5 रकबा 1.62 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में जारी नामान्तरकरण संख्या-351 निर्णिय दिनांक 27.12.2010 निरस्त करने का आदेश दिया। यह भी आदेश दिया कि रेस्पोडेंट संख्या-3 से 6 का नाम राजस्व अभिलेख से विलोपित किया जाता है तथा उक्त आराजीयात रेस्पोडेंट संख्या-2 श्री कन्हैयालाल पिता श्री भैरूलाल शर्मा, निवासी चित्तौड़गढ़ के नाम पुनः राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें।

- उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 29.03.2012 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत की गई, जिसके नम्बर 56/2012 हुए। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 31.05.2012 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय को अपास्त किया और प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रषित कर प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण निर्णय में वर्णित निर्देशों के प्रकाश में करने का आदेश दिया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर के निर्णय के प्रासंगिक अनुच्छेद निम्नानुसार है-

  *''यह न्यायालय उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करता है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता कि वे इस प्रकरण का नये सिरे से निस्तारण निम्न निर्देशों के प्रकाश में करें:-*

  1. *चूंकि प्रकरण की मुख्य धुरी गबन व उसकी वसूली है अतः वसूली की वर्तमान स्थिति ज्ञात की जावें।*
  2. *श्री कन्हैयालाल व श्रीमती भंवरदेवी के शपथ पत्रों का प्रमुख आधार विभागीय गबन व वसूलनीय राशि है, जो विवादित भूमि के बेनामी हस्तान्तरण के उद्देशय का पुख्ता संकेतक है। अतः प्रकरण में अपीलान्ट के क्लेम अनुरूप प्रस्तुत भूमि की क्रेता भंवरदेवी के आय के स्त्रोत का परीक्षण भी वांछनीय है।*
  3. *उपरोक्त कार्यवाही उपरान्त, प्राप्त साक्ष्यों व श्री कन्हैयालाल के विवादित भूमि क्रय में वित प्रदाता (Financer) होने के सशपथ कथन व उनके पुत्र सत्यनारायण की इसमें सहमति के आधार पर बेनामी हस्तान्तरण संबंधी प्रतिबन्धात्मक प्रक्रिया हेतु विद्यमान कानूनी प्रावधानों अनुसार सक्षम स्तर पर न्यायिक कार्यवाही अपेक्षित है।*

     *उपरोक्त समस्त विधिक कार्यवाही के अंतिम रूप से निष्पादन तक प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के मद्देनजर न्यायहित में नामान्तरकरण संख्या 351 दिनांक 27.12.2010 व शुद्धिपत्र दिनांक 05.01.2012 परिणामस्वरूप दर्ज राजस्व इन्द्राज विवादित समझे जाएगें। साथ ही विवादित भूमि का अग्रिम हस्तान्तरण (further transaction) प्रतिबन्धित रहेगा।''*

- तत्पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी संख्या-3 से 7 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जिसके नम्बर क्रमशः निगरानी संख्या-6508/2012 उनवानी विमला देवी बनाम सरकार एवं निगरानी संख्या 5234/2013 उनवानी विजय तिवारी बनाम सरकार हुए, जिसमें माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्णय दिनांक 19.09.2019 को पारित किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 19.09.2019 द्वारा माननीय मण्डल द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-96 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जादी को स्वीकार किया और न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया कि समस्त आवश्यक पक्षकारों को विधिवत सुनकर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के समक्ष निगरानी संख्या-6508/2012 उनवानी विमला देवी बनाम सरकार एवं निगरानी संख्या 5234/2013 उनवानी विजय तिवारी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 19.09.2019 की अनुपालना में एवं वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ से सम्बन्धित राजस्व

अपील का श्रवणाधिकार न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को होने से हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय की अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या-5, 6, 7 को आवश्यक पक्षकार है। जहां तक निगरानी संख्या-6508/2012 अनुसार गोवर्धनलाल पुत्र नन्दलाल को पक्षकार बनाये जाने का प्रश्न है, श्री गोवर्धनलाल हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार न होकर उसकी पत्नि श्रीमती संतोष स्वयं अपीलार्थी है। उपखण्ड अधिकारी के निर्णय दिनांक 29.03.2012 में तकनीकी त्रुटि से रेस्पोडेंट्स संख्या-5 पर श्रीमती गोवर्धनलाल पिता नंदलाल देराली श्रीमती संतोष की जगह अंकित है, जिसके सम्बन्ध में उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 29.03.2012 को पारित किया गया। दौराने अपीलीय कार्यवाही अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा संशोधित अनवान मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रत्यर्थी संख्या-5, 6 व 7 को आवश्यक पक्षकार होने से रेकर्ड पर लिये जाने का आदेश दिया गया।

सभी पक्षकारों को सूचना पत्र जारी किये गये। अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश शर्मा द्वारा संशोधित अनवान एवं लिखित बहस प्रस्तुत किये गये। प्रत्यर्थी संख्या- 3 से 7 की ओर से श्री प्रकाशचन्द्र पालीवाल द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत कर लिखित बहस प्रस्तुत की गई। दिनांक 17.08.2020 को अधिवक्तागण प्रत्यर्थी संख्या-1 से 7 उपस्थित, जिनकी विस्तृत बहस सुनी गई। अपीलार्थी की ओर से लिखित बहस मय नजीरे पूर्व में पेशशुदा।

**विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील एवं लिखित बहस में प्रस्तुत किया है** कि विवादित भूमि श्रीमती भंवरदेवी द्वारा दिनांक 15.10.1998 व दिनांक 24.12.1997 को सफी मोहम्मद, हफीस खां निवासी गणेशपुरा से अलग अलग विक्रय पत्रों से क्रय की। उक्त कृषि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में की गई कि उपरोक्त सम्पत्ति श्रीमती भंवरदेवी की स्वअर्जित आय से प्राप्त सम्पत्ति है अथवा श्रीमती भंवरदेवी के पति श्री कन्हैयालाल द्वारा अपनी आय से अपनी पत्नि के नाम खरीदी गई संपत्ति है, के बिन्दुओं को जो कि एक जटील प्रश्न होकर नामान्तरकरण की कार्यवाही के तहत न्याय निर्णयन योग्य नहीं था, इस बिन्दू का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही में न्याय निर्णयन करते हुए पूर्ण रूप से अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर विधि के प्रावधानों की अवहेलना की गई है। अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो तथा न्यायिक विनिश्चयों पर बिना कोई राय व्यक्त किये अपीलार्थी तहसील चित्तौड़गढ़ की अपील को स्वीकार फरमा अपीलार्थीगण विमला, संतोष व गोविन्दा के वैधानिक हक व अधिकारों पर सीधे तौर से कुठारघात किया है। भंवरदेवी द्वारा जिन विक्रय पत्रों से भूमि क्रय की है, वह कभी भी निरस्त नहीं कराये गये, न ही भंवरदेवी की मृत्यु दिनांक 23.04.2010 तक उसके पति कन्हैयालाल ने कोई आक्षेप किसी सक्षम न्यायालय एवं प्राधिकारी समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। स्वयं मृतक भंवरदेवी द्वारा दिनांक 08.06.2004 को उक्त तथ्य के सम्बन्ध में एक शपथ पत्र नोटेरी से प्रमाणित करवा यह उल्लेखित किया कि उक्त कृषि आराजीयात से रेस्पोडेंट संख्या-3 श्री कन्हैयालाल का किसी प्रकार से कोई लेना देना नहीं है एवं उक्त कृषि आराजीयात मेरे द्वारा स्वअर्जित आय से क्रय की गई है। इस प्रकार मृतक भंवरदेवी द्वारा उनके जीवनकाल में की गई उपरोक्त अभिव्यक्ति को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत रूप से अपने निर्णय में विवेचन कर अपील तहसीलदार स्वीकार करने में वैद्यानिक भूल की है। नामान्तरकरण संख्या-351 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा-15 व 16 के अनुसार विधि अनुरूप दिनांक 27.12.2010 को विरासत का सजरा कायम करते हुए तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा तस्दीक की गई और उन्ही तहसीलदार द्वारा उक्त कार्यवाही को आक्षेपित करते हुए अपील पेश की गई जो विबन्धन के

सर्वथा विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय ने उनके क्षेत्राधिकार के विपरित जाकर उक्त कृषि आराजीयात को बेनामी सम्पत्ति मानते हुए अपीलार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया। नामान्तरकरण की कार्यवाही में स्वामित्व व उत्तराधिकार तथा किसी हित का विवाद्यक निश्चित नहीं किया जा सकता है, यदि पक्षकारों के मध्य स्वामित्व के सम्बन्ध में विवाद है तो उन्हें स्वामित्व स्थापित करने के लिए उचित संस्थान में चाराज्योही हेतु जाना होगा। रेस्पोडेंट संख्या-3 श्री कन्हैयालाल द्वारा किसी राजकीय राशि का गबन भी किया जाता है तो उसके चुकारे का दायित्व कन्हैयालाल एवं उसकी स्वयं की निजी सम्पत्ति से है, श्री कन्हैयालाल द्वारा अपनी निजी सम्पत्तियों को बचाने की नियत से मृतक भंवरदेवी के स्वामित्व के सम्बन्ध में उनकी मृत्यु उपरान्त गलत कथन कर उक्त कार्यवाही अमल में लाई जो अवैद्यानिक है। वर्तमान समय में श्री कन्हैयालाल से समस्त राजकीय गबन की राशि की वसुली पूर्ण हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरणों पर कोई टिप्पणी किये मेकेनिकल तरिके से बिना राय कायम किये अवैद्यानिक रूप से निर्णय पारित किया। उक्त आराजीयात स्व. भंवरदेवी द्वारा अपनी निजी आय तथा स्त्रीधन से क्रय की गई थी, परन्तु उक्त तथ्य पर बिना किसी अधिकार के उनका स्वामित्व को नहीं मानकर अपीलार्थीगण को उनके हक व अधिकारों से वंचित कर राजस्व रेकर्ड से उनका नाम विलोपित करने में भारी भुल की है। प्रत्यर्थी संख्या-5 से 7 द्वारा आलौच्य निर्णय के उपरान्त श्री कन्हैयालाल से आनन फानन उक्त भूमि क्रय कर नामान्तरकरण स्वीकृत करा लिया, वह प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के हक व अधिकारों के प्रति पूर्णतः प्रारम्भतः शुन्य है क्योंकि उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 5 से 7 सद्भाविक क्रेता नहीं है बल्कि उक्त न्यायिक कार्यवाहियों की रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 को प्रारम्भ से पूर्ण रूप से जानकारी रही है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 29.03.2012 अपील व लिखित बहस में उल्लेखित तथ्यों तथा न्यायिक विनिश्चयों के आधार पर निरस्त फरमाई जावें एवं तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को अपीलार्थीगण का नाम पूर्ववत राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नांकित न्यायिक दृष्टात प्रस्तुत किये-

आरआरटी 2019(1) पेज 648, आरआरटी 2003(1) पेज 650, आरआरटी 2005(1) पेज 630, डीएनजे (एससी) 2003(2) पेज 346, आरआरटी 2010 (2) पेज 1222

**राजकीय पेरोकार** द्वारा उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के आदेश को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट निरस्त फरमाई जाने का अनुरोध किया है।

**विद्वान वकील प्रत्यर्थी संख्या-3 से 7 ने लिखित एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है** कि कन्हैयालाल की पत्नि श्रीममी भंवरदेवी गृहणी थी, जिसकी आय का कोई स्त्रोत नहीं था। श्रीमती भंवरदेवी का भरण पोषण उसके पति कन्हैयालाल द्वारा की किया जाता रहा है और भंवरदेवी पूर्णरूप से अपने पति पर आश्रित थी। कन्हैयालाल शर्मा द्वारा राजकीय सेवा में सेवारत होने के वक्त राजकीय राशि का गबन किया और उस गबन की राशि द्वारा विवादित सम्पत्ति अपनी पत्नि के नाम क्रय की। कन्हैयालाल द्वारा ग्राम विवादित भूमि गबन से प्राप्त राजकीय राशि का दुरूपयोग कर अपनी पत्नि भंवरदेवी के नाम खरीद की, राशि कन्हैयालाल द्वारा चुकाई गई, भंवरदेवी का नाम नुमायशी तौर से दर्ज कराया गया। उक्त संव्यवहार बेनामी संव्यवहार था। स्वयं भंवरदेवी द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उसके पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है और उक्त भूमि का विक्रय मूल्य उसके पति द्वारा अदा किया गया। अपीलान्ट द्वारा भंवरदेवी के आय के सम्बन्ध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, कन्हैयालाल व उसके वारिसों द्वारा उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। उक्त बेनामी सम्पत्ति श्री कन्हैयालाल द्वारा अपनी पत्नि के

नाम नुमायशी खरीदी गई। भंवरदेवी की मृत्यु के पश्चात् उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण अकेले उसके पति कन्हैयालाल के नाम किये जाने का आदेश पूर्णरूप से उचित है। भूमि पर कब्जा श्री कन्हैयालाल का ही था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में भंवरदेवी के स्वअर्जित आय से क्रय किये जाने कथन मिथ्या है। अपीलान्ट द्वारा भंवरदेवी की मासिक एवं वार्षिक आय की कोई जानकारी नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने यह सही माना है कि कथित गबन की राशि से भूमि भंवरदेवी के नाम खरीद की है जिससे भंवरदेवी की मृत्यु के पश्चात् उक्त भूमि उसके पति कन्हैयालाल के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। कन्हैयालाल में राज्य सरकार का गबन का पैसा बकाया था जो उससे वसूल करना था, उसके लिये उक्त कृषि भूमि कन्हैयालाल द्वारा रेस्पोडेंट संख्या-5 से 7 को विक्रय की गई तथा इस विक्रय से प्राप्त राशि राज्य सरकार में जमा कराई है। अपीलान्ट का उक्त कृषि भूमि में कोई हक, हित एवं अधिकार नहीं है। राजस्व अभिलेखों में कन्हैयालाल का नाम खातेदार की हैसियत से दर्ज होने के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या-5 से 7 को अलग-अलग पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादन करा कर एवं मौके पर भौतिक आधिपत्य प्रदान किया। क्रेता द्वारा सद्भावी रूप से भूमि क्रय की है। क्रय दिनांक को अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध कोई अपील एवं स्थगन नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या-5, 6, 7 के हक में निष्पादित पंजीकृत विलेख को सक्षम न्यायालय से निरस्त कराये बिना प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है। अन्त में अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या-3 से 7 द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निराधार एवं बेबुनियाद होकर विधि विपरित होने से निरस्त फरमाये जाने निर्णय प्रदान करने का निवेदन किया।

**हमने हस्तगत प्रकरण के अधिवक्ताओ की लिखित एवं मौखिक बहस, प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत एवं दस्तावेजों पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया।**

पत्रावली के अवलोकन से निर्विवादित स्थिति है कि विवादित भूमि श्रीमती भंवरदेवी द्वारा दिनांक 15.10.1998 व दिनांक 24.12.1997 को सफी मोहम्मद, हफीस खां निवासी गणेशपुरा से अलग अलग विक्रय पत्रों से क्रय की, जिसका नामान्तरकरण श्रीमती भंवरदेवी के नाम पर दर्ज किया गया। श्रीमती भंवरदेवी के स्वर्गवास उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा विरासत का नामान्तरकरण उसके पति, पुत्र एवं पुत्रियों के नाम स्वीकृत किया गया। तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ श्री कन्हैयालाल शर्मा का एक शपथ पत्र दिनांक 10.01.2012 संलग्न किया जिसके अनुसार श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा शपथपूर्वक प्रस्तुत किया गया कि विवादित भूमि उसके द्वारा उसकी पत्नि श्रीमती भंवरदेवी के नाम से उसकी आय से क्रय की गई और राजकीय वसूली जमा कराने बाबत उसकी पत्नि के स्वर्गवास उपरान्त पारित विरासत के नामान्तकरण को निरस्त करा उसके नाम भूमि को दर्ज किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपील दर्ज कर वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण को एवं रेस्पोडेंट संख्या-4 श्री सत्यनारायण को नोटिस जारी कर उनका पक्ष सुना गया। श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा उनके पिता श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा प्रस्तुत कथनों का समर्थन करते हुए विवादित भूमि का नामान्तरकरण श्री कन्हैयालाल के पक्ष में करने का कथन किया। उक्त कथनों की पुष्टि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में वर्णित अंकन से होती हैं।

अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा श्रीमती भंवरदेवी का एक शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसमें श्रीमती भंवरदेवी द्वारा निवेदन किया गया कि गावं गणेशपुरा में उसके नाम से 8 बीघा कृषि भूमि है, जिसकी वह खातेदार होकर एक मात्र तन्हा स्वामिनी है। उसके पति उसका किसी प्रकार से भरण पोषण

एवं खर्चे की व्यवस्था नहीं करने से उसके व उसके पति के मध्य विगत 8 वर्ष से किसी प्रकार से सम्बन्ध नहीं रहा है। उसके पति के नाम से विभागीय कोई बाकियात शेष निकल रही है, वह उक्त खातेदारी भूमि से उक्त बाकियात को बसूल करने पर आमादा है। यह उसके आजीविका का एक मात्र साधन है, इसके अलावा उसके पास आय का अन्य कोई स्त्रोत नहीं है। उक्त जमीन उसके द्वारा स्वअर्जित आय से क्रय की गई है। उक्त शपथ पत्र के अवलोकनानुसार इस पर कोई दिनांक अंकित नहीं की गई है यद्यपि नोटेरी पब्लिक द्वारा दिनांक 08.06.2004 को तस्दीक किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय यह पाया गया कि उक्त भूमि के अलावा श्रीमती भंवरदेवी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं है तो उक्त भूमि को क्रय किये जाने पूर्व श्रीमती भंवरदेवी के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं था, जिससे यह भूमि उसकी निजी आय से क्रय किया जाना साबित नहीं होता है। हम अधीनस्थ न्यायालय के उक्त कथन से संतुष्ट है क्योंकि श्रीमती भंवरदेवी द्वारा कथित शपथ पत्र में अपनी आय स्त्रोत के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, न ही अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा समक्ष श्रीमती भंवरदेवी के आय के स्त्रोत के बारे में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये है। श्रीमती भंवरदेवी के बैंक खातों की विगत एवं यदि सम्बन्धित वर्षों की कोई आयकर विवरणी दाखिल की गई हो, तो उसकी प्रतियां अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। यह प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि श्रीमती भंवरदेवी की आय का कोई स्त्रोत नहीं था। उसके पति द्वारा ही अपनी आय से उक्त भूमि क्रय किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिससे उक्त भूमि श्री कन्हैयालाल द्वारा गबन की राशि से बेनामी नाम से खरीदी जाना प्रथम दृष्टया पाया गया है। श्रीमती भंवरदेवी एवं श्री कन्हैयालाल शर्मा के पुत्र श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा भी अपने पिता द्वारा गबन की राशि से उक्त भूमि क्रय किये जाने के कथनों का समर्थन किया है। अपील में वर्णित तथ्यों को साबित किये जाने का भार अपीलार्थी पर होता है जिससे अपीलार्थी द्वारा जरिये दस्तावेजी साक्ष्यों के प्रमाणित किया जाना होता है परन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थीगण यह करने में असफल रहे हैं। इन्ही परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात के वास्तविक क्रेता श्री कन्हैयालाल शर्मा द्वारा श्रीमती भंवरदेवी के नाम क्रय की गई भूमि को पुनः कन्हैयालाल के नाम दर्ज किये जाने का निर्णय दिनांक 29.03.2012 को पारित किया।

हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थीगण द्वारा उठाये गये सभी बिन्दुओं पर पुरी तरह गौर किया एवं तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायिक दृष्टांत के तथ्य इस प्रकरण से सुसंगत नहीं होने से चस्पा नहीं होते है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.03.2012 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18.08.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( विकास सीतारामजी भाले )
संभागीय आयुक्त, उदयपुर